**FORM NO.III**
फर्द अहकाम
( नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–
लक्ष्मणसिंह पुत्र दूधसिंह रावत, निवासी कालाकोट, पोस्ट कालब, तहसील–रायपुर, जिला–पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–
लोक सूचना अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 21 / 2021
G.C.M.S. No. -2021/ 95
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18/03/21 | अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 09/04/21 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलक्टर, पाली | 458-459<br>18/03/21 |
| 9/4/21 | पत्रावली आज पेश हुई।<br>तात्कालिक आदेश की पालना में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पुनः पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 30/4/21 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलेक्टर, पाली | |
| 30/4/21 | पत्रावली आज पेश हुई।<br>उपखण्ड अधिकारी रायपुर ने अपने पत्रांक 200 / 12-4-21 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत रिपोर्ट की गई: जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पं०स० को लिख दिया गया है। अन्य कोई सूचना उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुई है किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जानी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अतिक्रमण हटाने बाबत शिकायत दी पेश की थी जिसके सम्बन्ध में तह० रायपुर के तथा तह० रायपुर ने सम्बन्धित पं०स० को कार्यवाही हेतु लिख दिया है। विधिवत किसी प्रकार की सूचना नहीं चाही [illegible] ने किसी प्रकार की कार्यवाही शेष न[illegible] जानी है। इसलिए अपील [illegible] की जाती है।<br>पत्रावली [illegible] से नम्बर से कम हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>जिला कलेक्टर, पाली | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:34:52 IST
Reason: SelfAttested